राजस्थान शिक्षक परीक्षा पर्चाफोड़ मामले में नौवीं गिरफ्तारी

नई दिल्ली, 25 जुलाई (ब्यूरो)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने राजस्थान में '2022 वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा' पर्चाफोड़ मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में नौवीं गिरफ्तारी की है। एजंसी ने एक बयान में कहा कि अनीता कुमारी उर्फ अनीता मीणा को बुधवार को हिरासत में लिया गया तथा जयपुर में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया।

संघीय एजंसी ने कहा कि अदालत ने आरोपी को दो दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

बयान के अनुसार, कटारा, अनिल कुमार मीणा और छह अन्य को एजंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे ठाकरे परिवार को फंसाने को कहा था : देशमुख

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जुलाई।

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बिचौलिए ने उन्हें केस में फंसने से बचने के लिए ठाकरे परिवार और (तत्कालीन) महा विकास आघाडी सरकार के बड़े नेताओं के खिलाफ हलफनामा देने को कहा था।

समाचार एजंसियों के मुताबिक, देशमुख ने बुधवार (25 जुलाई) को कहा, 'तीन साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक आदमी को मेरे पास भेजा और मुझसे चार हलफनामे लिखने को कहा।

मुझे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार और अनिल परब के खिलाफ लिखित आरोप लगाने को कहा गया।' उन्होंने कहा, 'देवेंद्र फडणवीस ने हलफनामे भेजे और मुझसे उन पर दस्तखत करने को कहा।

मुझे कहा गया कि अगर मैंने ऐसा किया तो न तो ईडी और न ही सीबीआइ मेरे पीछे आएगी। मुझ पर दबाव डाला गया।

हालांकि मैंने साफ कहा कि अगर मुझे आजीवन जेल में भी रहना पड़े तो भी मैं झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं झुका और इसीलिए ईडी और सीबीआइ को मेरे पीछे लगाया गया। मुझसे झूठा हलफनामा देने को कहा गया कि आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान का बलात्कार किया और उसे बालकनी से फेंक दिया।'

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता अनिल देशमुख ने अप्रैल 2021 में गृहमंत्री के पद इस्तीफा दे दिया था। उन पर तब मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि वह पुलिस को शहर के होटल और बार मालिकों से वसूली करने को कहते हैं।

इन आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए उप-मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अनिल देशमुख को पता होना चाहिए कि उनकी ही पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार या विवादास्पद पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के विरुद्ध उनकी टिप्पणियों वाले कई दृश्य-श्रव्य सबूतों के साथ मुझसे मुलाकात की है। यदि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो मेरे पास इस सबूत को सार्वजनिक करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा।

शून्यकाल में सांसदों ने उठाई अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याएं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जुलाई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना और बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुसलिम आबादी बढ़ने तथा हिंदुओं के गांव खाली होने का दावा किया है।

उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल में केंद्र सरकार से इन क्षेत्रों को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहां पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि साल 2000 में बिहार से झारखंड के अलग होने के समय संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 36 फीसद थी, जो आज 26 फीसद है। 10 फीसद आदिवासी कहां खो गए, कहां गायब हो गए। सदन कभी इसकी चिंता नहीं करता।

झारखंड की सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिये उनके क्षेत्र में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा में 267 बूथ पर मुसलमानों की आबादी 117 फीसद बढ़ गई। पूरे झारखंड में 25 विधानसभाओं में मुसलिम आबादी 110 से 123 फीसद तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के गांव के गांव खाली हो रहे हैं। एक भी बात गलत है तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। न्होंने मांग की कि विधि आयोग की 2010 की 235वीं रपट को लागू किया जाए जिसमें सिफारिश की गई है कि धर्मांतरण और दूसरे धर्म के लोगों से शादी के लिए अनुमति जरूरी है। शून्यकाल में सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल में सेब किसानों को राहत देने के लिए सेब को भी बीमा योजना के तहत लाने की मांग की।

'चूक का अहसास करने में सरकार को करीब पांच दशक लग गए'

इंदौर, 25 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार को अपनी इस चूक का अहसास करने में करीब पांच दशक लग गए कि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरीखे संगठन' को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत तरह से शामिल किया गया था।

अदालत ने संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के सरकार के हालिया फैसले के हवाले से यह तल्ख टिप्पणी की। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता की रिट याचिका का निपटारा करते यह टिप्पणी की।

गुप्ता ने 19 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट में याचिका दायर करके केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के साथ ही केंद्र सरकार के उन कार्यालय ज्ञापनों को चुनौती दी थी जो संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने में बाधा बन रहे थे।

मोदी आज जाएंगे करगिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिंकुन ला सुरंग परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर, सुबह नौ बज कर लगभग 20 मिनट पर करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

entrance wizard
REQUIREMENT
Faculty | Content Writer
English, Hindi, Polity, Geography, History, Economics, Maths, Reasoning, Legal Aptitude, Physics, Biology, Chemistry & other subjects
send your CV, demo class & content sample
email: info@entrancewizard.com
Academic Counsellor
*Relevant work experience compulsory
Office: 56, Mall Road GTB Nagar Delhi-110009

सार्वजनिक सूचना
मेरे मुवक्किल राम कुमार पुत्र श्री शिव चन्दन सिंह एवं उनकी पत्नी श्री अनीता देवी निवासीगण A217/7 राजीव गली No-3 मंडावली फाजलपुर शकरपुर ईस्ट दिल्ली दिल्ली-110092 ने अपने पुत्र अनिल कुमार को उनके गलत आचरण एवं दुर्व्यव्यहार के कारन अपनी चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल संबधं विच्छेद कर लिया है। यदि भविष्य में कोई व्यक्ति इन दोनों के साथ कोई लेन देन करता है। या किसी प्रकार का झगड़ा करता है तो वह स्वयं उसका जिम्मेदार होगा और उसके किसी भी कार्य के लिए मेरे मुवक्किलगन जिम्मेदार नहीं होंगे।
PRABHAT CHOWDHARY
Advocate
Enrl.No. D/3106/2022

PUBLIC NOTICE
OUR CLIENT SHRI SANJAY KUMAR SON OF SHRI HARI OM SHARMA, R/O C-153, HARI NAGAR, CLOCK TOWER, NEW DELHI-110064, do hereby disinherit from their Moveable and Immoveable Properties who and severs their all relations with his son namely SHRI YASH SHARMA and his wife namely SMT. SHIVANI, R/o C-153, HARI NAGAR, CLOCK TOWER, NEW DELHI-110064, as well of them are disobedient to him, any person dealing with them shall be dealing at his own costs and responsibility from the date of public action.
Sd/- B.B.N. DEO, Advocate
S.R.IInd,B Coumpus, Janak Puri,ND-58

PUBLIC NOTICE
General Public at large is hereby informed that my client Kanu Bhatia, S/o Late Shri A.K Bhatia resident of House No. 5-UA, Jawahar Nagar Delhi has debarred, disowned and disinherited his wife Riti Bhatia from his entire movable and immovable properties for being disloyal, unchaste, disrespectful, quarrelsome and unfaithful. My client has also severed all his relations with her and also debars her from all social & moral obligations including performance of his last rites.
If anyone deals with her, he may do so at his own risk, cost and consequences.
My client will not be responsible to anybody for the future acts and deeds of above named wife.
Saurabh Munjal (Advocate)
Chamber no.238-239, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

सार्वजनिक नोटिस
बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे ग्राहक मेरे ग्राहक श्री आनंद अत्री और श्रीमती निधि अत्री डीडीए द्वारा निर्मित पहली मंजिल पर एसएफएस फ्लैट नंबर 28-बी, जो पॉकेट-बी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित है (इसके बाद इसे 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा) को श्रीमती रानी मित्तल पत्नी श्री अरुण कुमार मित्तल से खरीदने के इच्छुक हैं जो वर्तमान में बत्तीर कन्वेयंस डीड दिनांक 28/08/2000 जिसका पंजीकरण क्रमांक संख्या 12095 दिनांक 28/08/2000 जो कि सब रजिस्ट्रार- VII, आईएनए, नई दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत है के आधार पर उक्त संपत्ति के मालिक हैं। मालिक के कथन के अनुसार उक्त संपत्ति की श्रृंखला के दो मूल दस्तावेज जैसे (1) अग्रीमन्ट टू सेल और (2) वसीयतनामा (विल डीड) जो श्रीमती कंवरानी उमा राजे द्वारा श्री जुगल किशोर शर्मा के पक्ष में निष्पादित किए गए थे दोनों खो गए हैं/गुम हो गए हैं। उपरोक्त खोए हुए दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी मालिक के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए खोए हुए सामान/दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक सूचना रिपोर्ट पहले ही दिल्ली पुलिस अपराध शाखा में दर्ज कराई जा चुकी है जिसका एल.आर. क्रमांक 1966785/2024 दिनांक 25.07.2024 इसलिए, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, वकील और/या इकाई, फर्म/कंपनी, सोसायटी और/या सोसायटी के सदस्य, बैंक, एचयूएफ/एचयूएफ के सदस्य, वित्तीय संस्थान का 'उक्त संपत्ति' के संबंध में कोई दावा, कोई ब्याज या ग्रहणाधिकार या आपत्ति है, तो वह इस सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के दिन से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण / न्यायालय के फैसले के साथ अधोहस्ताक्षरी के ई मेल- rohitjh399@gmail.com पर इसे दर्ज/सूचित कर सकता है। ऐसा न करने पर किसी भी आगे/भविष्य के दावे/आपत्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा और मेरे ग्राहक/संभावित खरीदार(ओं) या उसके/उनके नामांकित व्यक्तियों के नाम को एक वास्तविक क्रेता के रूप में मेरे ग्राहक के पक्ष में निष्पादित कर दिया जायेगा और प्रस्तावित बिक्री बिलेख बिना किसी दोष, भार दोष और बाधा के स्पष्ट और विपणन योग्य माना जाएगा।
रोहित कुमार, अधिवक्ता
चैंबर नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली-110085

PUBLIC NOTICE
Reg: Entire Second Floor, without roof rights (the said floor), part of Property bearing No. N-14-B, area measuring 100 sq. yds., Situated at Jangpura Extension, New Delhi-110014.;hereinafter referred to as "said property".
Be it known to all that our clients, Mr. Gagan Gandhi & Mrs. Nishtha Behl (hereinafter called the "Purchaser") intend to purchase the said floor from Mr. Avneet Singh Bhatia and Mr. Rahul Chawla (hereinafter called the "Seller"). In this connection, the seller have informed the purchaser that they are the joint owners of the said floor vide Sale Deed executed by Mrs. Manorama Bali and Mr. Nitin Bali in their favour. The said deed is registered as Document No.2766 in Book No. 1,Volume No. 2479, pages 15-28, on 08.05.2023 (SRO-V(1). The seller have further informed the purchaser that the said property was owned by Mr. Umesh Mahajan vide Conveyance Deed registered as Document No. 1519 on 16/02/2001 and he sold the said property to Mr. Jagdish Chander Bali and Mrs Manorama Bali vide Sale Deed registered as document No. 1724 on 19/02/2007. Shri Jagdish Chander Bali expired and the said property devolved on his legal heirs viz., Mrs. Manorama Bali and Mr. Nitin Bali and later on they sold the said floor to Mr. Avneet Singh Bhatia and Mr Rahul Chawla (the present seller). Thus the seller became the joint owners of the said floor of the said property. The seller have further informed the purchaser that the said floor is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation pending regarding the said floor.
Any person including Bank/s, Financial Institution/s, relative/s having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the aforesaid floor is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 07 days of publication of this notice and in the event of no response having been received to the notice, the title of the seller to the said floor shall be deemed to be clear of any charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our clients/Purchaser, in any manner whatsoever.
Shivkant Arora, Advocate
M/s Intellective Law Offices
A-74, LGF, Defence Colony, New Delhi-110024

AXIS BANK
खुदरा परिसंपत्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस भवन, टॉवर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जैपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, निगमित कार्यालय : ब्लॉक-बी, बांबे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400 025, पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

मांग सूचना
जैसा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड से यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपरांत भी ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के प्रतिभुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। और इसीलिए, खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे अंकित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनीय परिसम्पत्ति के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, तदुपरांत एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें नीचे अंकित संबंधित तिथियों पर सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर, भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर आगे के ब्याज के साथ सूचनाओं में अंकित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ताओं को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर निर्गत सूचनायें उन्हें प्राप्त हुये बिना ही वापस लौट आयी हैं तथा इसीलिये उन्हें उन अप्राप्त सूचनाओं के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक एवं गारंटर का नाम एवं पता	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का संपत्तिगत पता	एनपीए तिथि / मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि (रु.) सूचना की तिथि के अनुसार
1. श्री राजेश पुत्र रणबीर सिंह निवासी कवन पट्टी बहोरा कलां (134) गुड़गांव हरियाणा 122413, अन्य पता : श्री राजेश पुत्र रणबीर सिंह निवासी खसरा नंबर 18/2 खेवेट नंबर 1640/1478 भोरा कलां, फारुख नगर, गुड़गांव हरियाणा 122413, 2. श्री सतेंद्र सिंह पुत्र रणबीर सिंह द्वारा कवन पट्टी बहोरा कलां (134) गुड़गांव हरियाणा 122413, अन्य पता : श्री सतेंद्र सिंह पुत्र रणबीर सिंह द्वारा खसरा नंबर 18/2 खेवेट नंबर 1640/1478 भोरा कलां, फारुख नगर, गुड़गांव हरियाणा 122413 3. श्री रणबीर सिंह पुत्र फतेह सिंह द्वारा 630 कांवा पट्टी बहोरा कलां 134 गुड़गांव हरियाणा (122413), अन्य पता : श्री रणबीर सिंह पुत्र फतेह सिंह द्वारा कावां पट्टी बहोरा कलां 134 गुड़गांव हरियाणा 122413	53 कनाल 18 मरले अधिमापन की भूमि / संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो खेवट / खाता संख्या 1969/2216, मुस्ततिल संख्या 201, किला संख्या 8/2(3-8), 9(8-0), 12(6-8), 19(6-0), 22(8-0), 26(3-12) और मुस्ततिल नंबर 216 किला नंबर 2/1(2-10) और मुस्तैइल नंबर 234 किला नंबर 24(8-0) और 25(8-0) में समाहित तथा वाका सिवाना मौजा बोहरा कलां तहसील पटौदी, गुड़गांव हरियाणा में स्थित, श्री राजेश और श्री सतेंदर सिंह के नाम पर निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर- विलेखानुसार, पश्चिम- विलेखानुसार, दक्षिण- विलेखानुसार, पूर्व- विलेखानुसार।	29-मई-2024 / 27-जून-2024 / बकाया राशि (रु.) सूचना की तिथि के अनुसार रु. 1,46,73,353.00/- (रुपये एक करोड़ छियालीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ तिरेपन मात्र)

एतद्द्वारा उक्त परिस्थितियों में उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों एवं/अथवा उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज तथा यथालागू शुल्कों के साथ उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत यथालागू नियमावली के अंतर्गत ऋणधारकों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूति परिसम्पत्तियों पर अधिग्रहण करने सहित प्रतिभूति परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाइयां की जायेंगी। आपका ध्यान सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है, जिसमें आप जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर सार्वजनिक नीलामी करने अथवा निजी संधि के द्वारा प्रतिभूति परिसम्पत्ति(यों) की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान, जनता से कोटेशन व निविदा आमंत्रित कर सार्वजनिक नीलामी के आयोजन या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री सूचना के प्रकाशन से पूर्व, नहीं किया जाता है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, प्रतिभूति ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना कोई भी ऋणधारक इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का बिक्री, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।
दिनांक : 26-07-2024, स्थान : नोएडा
प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD
9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002
E-AUCTION SALE NOTICE
D.R.C. No. 297 of 2021, Axis Bank Ltd. Vs Smt. Bobby Sharma & another
(Under Rule 52(2) of Second Schedule to the IT Act, 1961 r/w Sec 25 to 29 of RDDBI & FI Act 1993
The publication is in addition to Proclamation of Sale done on 15.07.2021 The under mentioned properties will be sold "As is, where is basis" by online e-auction through website https://drt.auctiontiger.net for recovery of a sum of Rs. 2,34,73,353/- (Rupees Two Crore Thirty Four Lac Seventy Three Thousand Three Hundred Fifty Three only) along with cost, expenses from 01.09.2020 i.e. date of filing and future interest from order date till the date of realization in full, jointly or severally from the aforesaid certificate debtors.
Description of Property
Description of property to be sold with the name of the owner:
Property description: Plot No. 9, Dushyant Nagar, Mauza-Bodla, Lohamandi, Agra-282002 having Area 146.37 Sq. Mt. Bounded as: East: Part of Plot no. 9, West: Plot no. 48, North: Exit and 9 mt. Wide road, South: Plot no. 8
Owner: Chandrakant Sharma (JD No. 2 And Smt. Bobby Sharma (JD No.1)
Detail of Sale Deed: Sale Deed dated 17.06.2011, which is registered in the concerned office of Sub- Registrar Agra Sadarat Book no.-I, Volume No.7850 from page no. 61 to 108 at Serial no. 6721 registered on 17.06.2011.

Date / Time of e-auction	22.08.2024 Between 11 A.M. and 12 Noon with extension of 5 minutes duration after 12 Noon, if required.
Reserve Price	Rs. 13200000/-(Rupees One Crore Thirty Two Lac only)
Earnest Money	10% of the Reserve Price i.e. Rs. 1320000/-
Earnest Money Deposite Last date for submission of bid form with EMD	10% amount of reserve price as earnest money (EMD) as detailed against each property through electronic transfer in the Account Debt Recovery Tribunal Allahabad U.P., Account No. 199104000000019 with IDBI Bank, Branch M.G. Marg Allahabad, IFSC IBKL0000199 latest by 5:00 PM on 14.08.2024 and the E.M.D. received thereafter shall not be considered.
Bid Multiplier	Rs. 50,000/-
Inspection of Property	Between 11.00 A.M. to 4.00 P.M. on any working day at the site in consultation with Certificate Holder i.e. Sri Amod Singh, Regional Legal Manager (UP & UK), Axis Bank Ltd., 1st Floor, Loan Centre, UPRNSS Head Office, G4/5-B, Sector-4, Near CMS School, Shaeed Path, Gomti Nagar, Extension, Lucknow-226010, Mob.no.7766914955

UNDER ANY CIRCUMSTANCES BIDS IN PHYSICAL FORM WILL NOT BE ACCEPTED BY THE TRIBUNAL & NO ENQUIRIES WILL BE ENTERTAINED.
The other details about the above auction and the e-auction bid form and declaration form and detailed terms and conditions are available in the website https://drt.auctiontiger.net & DRT.GOV.IN
The person declared to be the successful bidder shall pay/deposit immediately 25% of the amount of his purchase price (less EMD) by way of electronic transfer on the same day in the account of "Debt Recovery Tribunal Allahabad U.P., Account No. 199104000000019 with IDBI Bank, Branch M.G. Marg, Allahabad, IFSC IBKL0000199 The full amount of Purchase Price along with poundage @2% upto Rs.1000 and 1% on balance amount of Purchase Money shall be paid/deposited by the purchase by way of electronic transfer in the account of "Debt Recovery Tribunal Allahabad U.P., Account No. 1991104000000019 with IDBI Bank, Branch M.G. Marg, Allahabad, IFSC IBKL0000199, before 15th day from the date of sale of the property exclusive of such day or if the fifteenth day be a Sunday or other Holiday, then on the first working day after 15th day.
In case of default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after issue of fresh Proclamation of Sale. The deposit after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned think fit, be forfeited to the Government and defaulting purchaser shall forfeit all claims to be property or to any party the sum for which it may subsequently be sold.
The highest bid will be subject to approval of the Recovery Officer. The recovery Officer has the absolute right to accept or reject any bid or bids or to postpone or cancel the sale without assigning any reason
Property details, if any, shall be obtained from Sri Amod Singh, Regional Legal Manager (UP & UK), Axis Bank Ltd., 1st Floor, Loan Centre, UPRNSS Head Office, G4/5-B, Sector-4, Near CMS School, Shaeed Path, Gomti Nagar, Extension, Lucknow-226010, Mob. No. 7766914955 and assistance regarding 'e' auction Procedure and uploading of bid form and other required documents, from e-Procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger), Land Line No : 079-68136805/68136837, Mr. Ram Prasad Sharma-8000023297, Mo.:+91 9265562821/18, e-Mail: support@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net and https://drt.auctiontiger.net.
[SHREESHAN SHANDILYA]
Recovery Officer-I
DRT, ALLAHABAD

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India (A Govt. of India Undertaking)
भारत सरकार का उपक्रम
द्वितीय कार्यालय, लखनऊ
यूनियन बैंक भवन, प्रथम तल, विभूति खण्ड, निकट मंकी आवास, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष-0522-2306915, 2305800
अधिग्रहण सूचना
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और धारा 13 (2) तथा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था।
ऋणी के द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतद्विरुद्ध नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है।
ऋणग्रहिता को विशिष्ट रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्तियों के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और निम्न संपत्तियों का किसी प्रकार से कोई क्रय-विक्रय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का बकाया धनराशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान के अनुसार ऋणी को अवगत कराया जाता है कि, दिये गये समय के अन्तर्गत भुगतान करके निम्नांकित बंधक आस्तियों को मुक्त करा लें।

क्र. सं.	1) ऋणकर्ता का नाम व पता 2) जमानतकर्ता का नाम व पता 3) कानूनी उत्तराधिकारी 4) शाखा	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि / सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि / बकाया धनराशि
1.	1. श्री राकेश पुत्र श्री बांके लाल, पता: मकान संख्या 602/1670, प्लॉट संख्या 58, खसरा संख्या 131 और 132 (एम) बेगरिया वार्ड, कन्हैया माधोपुर, बुक्नगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101 2. श्री राम आसरे पुत्र श्री सुकराम यादव, पता: ग्राम कमलराबाद, पोस्ट काकसबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101 (श्री राकेश पुत्र श्री बांके लाल के खाते में जमानतकर्ता) 3) कोई नहीं 4) दुर्गाचंद शाखा ईमेल-ubin0543136@unionbankofindia.bank	सांयिक बनाक मकान संख्या 602/1670, प्लॉट संख्या 58, खसरा संख्या 131 व 132 (पी), बेगरिया वार्ड-कन्हैया माधोपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, संपत्ति के मालिक: श्री राकेश पुत्र श्री बांके लाल, क्षेत्रफल- 95.724 वर्ग मीटर, चौहद्दी: - पूर्व: विष्णु का प्लॉट, पश्चिम: श्री शिव गोविंद का मकान, उत्तर: श्री चंद्रिका प्रसाद का मकान, दक्षिण: 15.00 फीट चौड़ी सड़क	09.01.2024 / 20.07.2024 (सांकेतिक) / रु. 22,66,836.21 + दिनांक 01.01.2024 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय तथा राशि यदि कोई मांग सूचना की तिथि के बाद भुगतान की गई हो तो उसे घटाते हुए
2.	1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. गिरीश चंद्र त्रिवेदी, पता: मकान संख्या 535 क/146, इंदिरा नगर, निकट रेलवे क्रॉसिंग नंबर 8, लखनऊ- 226024, उत्तर प्रदेश 2. श्री चित्रगुप्त श्रीवास्तव पुत्र श्री हरदेव प्रसाद श्रीवास्तव, पता: 280/33/1, स्लेट स्क्वायर, मवैया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004 (स्व. श्री राजेश कुमार त्रिवेदी के खाते में जमानतकर्ता) 3) श्रीमती प्रभा त्रिवेदी पत्नी स्व. श्री राजेश कुमार त्रिवेदी, पता: मकान संख्या 535 क/146, इंदिरा नगर, निकट रेलवे क्रॉसिंग नंबर 8, लखनऊ- 226024, उत्तर प्रदेश 4) इंद्रानगर शाखा ईमेल-ubin0552257@unionbankofindia.bank	सांयिक बनाक मकान संख्या 535 क/146, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, संपत्ति का स्वामित्व- श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय गिरीश चंद्र त्रिवेदी, क्षेत्रफल- 600.00 वर्ग फीट, चौहद्दी:- पूर्व: मकान श्री ईश्वरी दीन, पश्चिम: मकान श्री किशोर लाल, उत्तर: रास्ता सरकारी, दक्षिण: रेलवे लाइन	16.12.2023 और 19.12.2023 / 24.07.2024 (सांकेतिक) / रु. 7,15,930.00 + दिनांक 01.12.2023 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय तथा राशि यदि कोई मांग सूचना की तिथि के बाद भुगतान की गई हो तो उसे घटाते हुए

दिनांक: 26.07.2024, स्थान: लखनऊ
प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

AU SMALL FINANCE BANK
एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)
जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के